प्रसार भारती/Prasar Bharati

(भारत का लोक सेवा प्रसारक / India's Public Service Broadcaster)

प्रसार भारती सचिवालय/ Prasar Bharati Secretariat

मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली-110001

सं.ए.-10/23/2010-पीपीसी/पीबीआरबी   दिनांक: 01 जुलाई, 2020

आदेश

विषय: प्रसार भारती भर्ती बोर्ड की स्थापना।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 10 के साथ पठित सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत के असाधारण गजट दिनांक 12.02.2020 [जीएसआर 107 (ई)] में अधिसूचित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) स्थापना भर्ती बोर्ड नियम, 2020 के अनुसरण में प्रसार भारती इसके द्वारा एक भर्ती बोर्ड की स्थापना करता है, जिसका नाम 'प्रसार भारती भर्ती बोर्ड' है (जो एतद्पश्चात 'भर्ती बोर्ड' के नाम से निर्दिष्ट है) जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम वेतनमान वाले पदों में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए होगा। उपर्युक्त गजट अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है।

2 उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 12.02.2020 के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया जाता है, जिन्हें प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नामित किया गया है तथा जिनकी नियुक्ति जिस दिनांक से वे पदभार ग्रहण करते हैं से प्रभावी होगी:-

1. श्री जगदीश उपासने, निदेशक, भारत प्रकाशन : अध्यक्ष
2. सयुक्त सचिव (बी-II), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय : पदेन सदस्य
3. सुश्री दीपा चन्द्र, सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक (कार्यक्रम), प्रसार भारती : सदस्य
4. श्री पी एन भकता, सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक (इंजीनियरी), प्रसार भारती : सदस्य
5. सुश्री किम्बॉन्ग किपगेन, सचिव, पीइएसबी : सदस्य
6. श्री चेतन प्रकाश जैन, महाप्रबंधक (एचआर), रेल विकास निगम लिमिटेड : सदस्य

3. भर्ती बोर्ड के कार्य गजट अधिसूचना दिनांक 12.02.2020 के खंड 5 में निर्दिष्ट हैं। भर्ती बोर्ड को सचिविय सहायता, प्रसार भारती सचिवालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

4.	अध्यक्ष और सदस्य, पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, प्रत्येक बैठक के शुल्क के लिए हकदार होंगे, जिसे नियत समय में अधिसूचित किया जाएगा, परन्तु वे किसी भी वेतन या पारिश्रमिक के हकदार नहीं होगे।

(सुनील भट्ट)
उप निदेशक (पीबीआरबी)

प्रतिलिपि:
1. अध्यक्ष और सदस्य भर्ती बोर्ड।
2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
   {ध्यानार्थ: सुश्री ज्योति मेहता, निदेशक (बीएपी)}

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुभाग अधिकारी।
2. सदस्य (वित्त) के निजी सचिव।
3. महानिदेशक: आकाशवाणी / महानिदेशक दूरदर्शन / प्रिंसिपल महानिदेशक, स.से.प्र/महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार
4. अपर महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी, महानिदेशालय, / अपर महानिदेशक (प्रशासन), दूरदर्शन महानिदेशालय अपर महानिदेशक (एनएबीएम)।
5. अपर महानिदेशक (प्रशासन), / अपर महानिदेशक (एचआर) प्रसार भारती सचिवालय
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यालय।

प्रतिलिपि :
उप महानिदेशक (तकनीकी), प्रसार भारती सचिवालय को आदेश प्रसार भारती की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।